

गूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठारीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 292/2017 वाद
GCMS NO.- 2017/00462

श्री सुरेश पिता रतनलाल जाति कलाल आयु 41 वर्ष निवासी कृपाराम जी की खेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

-वादी

//बनाम//

1. श्री गोपाल पिता रतनलाल जाति कलाल उम्र 45 वर्ष निवासी कृपाराम जी की खेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. श्रीमती सुगनाबाई पत्नी रतनलाल जाति कलाल उम्र 66 वर्ष निवासी कृपाराम जी की खेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 अरनियाजोशी जरिये व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 अरनियाजोशी तह0 निम्बाहेड़ा ।
4. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा अरनोदा जरिये शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा अरनोदा तह0 निम्बाहेड़ा राज0 ।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0 ।

- प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,209 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल धाकड़ की उपस्थिति में प्रकरण लोक अदालत कैम्प कोर्ट अनरिया जोशी में राजीनामा अनुसार दिनांक 02.05.2018 को जारी प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि मौजा कृपाराम की खेड़ी की खाता संख्या 22 की आराजी नं0 3 व 4 का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार पहुंच मार्ग सुनिश्चित करतें हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें । तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/टीआरए/2020/150 दिनांक 26.08.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि कृपाराम की खेड़ी की खाता संख्या 22 की आराजी नं. 3 व 4 कुल फीता 2 कुल रकबा 2.11 है0 का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-



2

उपखण्ड अधिकारी



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



1- श्री सुरेश पिता रतनलाल कलाल सा० देह के रहेगी- आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
4 उत्तर पूर्वी	0.15	2.85
4 पश्चिम	0.25	4.75
4 पश्चिम दक्षिण	0.30	5.70

.....
कुल कीता- 3 कुल रकबा 0.70 13.30
.....

2- श्री गोपाल पिता रतललाल कलाल सा. देह के रहेगी- आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
4 पूर्वी दक्षिण	0.15	2.85
4 मध्य	0.25	4.75
4 पश्चिम उत्तर	0.30	5.70

.....
कुल कीता- 3 कुल रकबा 0.70 13.30
.....

3.- सुगनाबाई पत्नी रतनलाल कलाल के रहेगी- आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
4 मध्य	0.65	12.35


4.- श्री सुरेश गोपाल पिता रतनलाल सुगनाबाई पत्नी रतनलाल के शामलाती में रहेगी - आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
3	0.01	गे.मु.चाह
4 उत्तरी भाग	0.05	0.95

.....
कुल कीता-2 कुल रकबा 0.06 0.95
.....

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिक्तेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 19.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहड़ा (राज.)
निम्बाहड़ा